भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 131B/2017-18

कृष्ण चन्द्र महतो उर्फ कृष्ण चन्द्र **बनाम** अनुप कुमार महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
11-11-2017		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 788 दिनांक 18.10.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 131 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता श्री कृष्ण चन्द्र महतो उर्फ कृष्ण चन्द्र पिता–रोहिना महतो ग्राम–डुमरडीहा, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता अनुप कुमार महतो पिता मंगला चरण महतो, ग्राम–दुबराजपुर, टोला–तिरिलडीह थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
राजनगर	151	142	382/अंदर	08.4डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता स्वंय जमावंदी रैयत है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता हैं। आवेदक के हिस्से में 2.31.4 एकड़ जमीन है, जिसमें से 08.4 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.23 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 08.4 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।